राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.9 (922)परि/आरटीए/02/पार्ट।/ 85915 जयपुर,दिनांकः 17/7/12

अधिसूचना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 921(अ) दिनांक 13-08-1993 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 74 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 9(671) परि/आरटीए/मु./09/11880 दिनांक 19.09.2011 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर को निम्न दिशा-निर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

निर्देश

यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि बीकानेर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या को सीमित किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः बीकानेर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले तीन पहिया ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, बीकानेर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उपरोक्त वाहनों के अनुज्ञापत्र की संख्या को 6000 तक सीमित करेगें एवं नवीन अनुज्ञापत्र अनन्य रूप से एलपीजी/सीएनजी ईंधन से संचालित होने वाले वाहनों को ही स्वीकृत किये जाएंगे एवं वर्तमान में डीजल ईंधन से संचालित तिपहिया वाहनों का प्रतिस्थापन (Replacement) केवल एल.पी.जी./सी.एन.जी. से ही किये जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः प.9 (922)परि/आरटीए/02/पार्ट।/ 25719-87 जयपुर,दिनांकः 15/12/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक15.12.2016.....में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
6. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
7. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
8. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी.......................समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)